



63
187

न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय म0प्र0राजस्व मंडल ग्वालियर

R 5091-II/17

कैम्प रीवा जिला रीवा म0प्र0

₹.30/-



1. बनवारी लाल तनय नथई नाई
2. शेषमणि तनय नथई नाई

उपरोक्त दोनो निवासी ग्राम गोपला, तहसील हनुमना, जिला रीवा
म0प्र0आवेदकगण

बनाम

1. चित्रसेन कुम्हार
2. अंजोरवा कुम्हार
- दोनो के पिता विश्राम कुम्हार
3. सितउआ पत्नी विश्राम कुम्हार
4. शुकुलवा तनय मदन कुम्हार
5. मुन्नी पत्नी शुकुलगंवा कुम्हार

उपरोक्त समस्त निवासी ग्राम गोपला, थाना व तहसील हनुमना, जिला
रीवा म0प्र0

6. शासन म0प्र0

.....अनावेदकगण

निगरानी बिरुद्ध आदेश अनुबिभागीय अधिकारी
महोदय तहसील हनुमना जिला रीवा म0प्र0 के
राजस्व प्रकरण क्रमांक 83अ19/12-13 मे
पारित आदेश दिनांक 27/12/16 के बिरुद्ध
अन्तर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं0के अधीन
निगरानी

मान्यवर

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य:-

निगरानी का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा
नम्बर 294/2 रकबा 1.21ए0 स्थित ग्राम गोपला की भूमि का
अपीलार्थी के पिता के नाम प्रकरण क्रमांक 302/अ19/80-81 मे पारित

बनवारी नाई

महोदय श्रीवास्तव
राजस्व मंडल ग्वालियर
10/04-3-17
सिक्रेट कोटी रीवा

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R 5091- दो 1/2 जिला सीवा.....

..... बनवारी लाल गह विरुद्ध चित्रदेव कुमहार बगै

1	2	3
<p>15-1-19</p>	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>अनीष जीवालय</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील <u>हनुमना</u> के प्रकरण क्रमांक <u>83/3-19/12-13</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27-12-16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>25-3-19</u> को कलेक्टर <u>सीवा</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>W</u> सदस्य</p>	